संशोधन

संख्या- 08/2018/1144(2)/38-3-2018/21/2016

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2018

विषय:- अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक "2515" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये किये गये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नया वाहन क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-07/2018/1144/38-3-2018/21/2016 दिनांक 27 अगस्त, 2018, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन आयुक्त, ग्राम्य विकास/संयुक्त विकास आयुक्त/जिला विकास कार्यालय/खण्ड विकास कार्यालय हेतु वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-07/2018/1144/38-3-2018/21/2016 दिनांक 27 अगस्त, 2018, के प्रस्तर-2 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2017-2018 को संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-2019 किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त एक नया प्रस्तर-5 निम्नवत् जोडा जाता है:-

इस निमित होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जाएगा।

3- कृपया उक्त शासनादेश संख्या-07/2018/1144/38-3-2018/21/2016 दिनांक 27 अगस्त, 2018, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

तद्नुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-08/2018/1144(3)/38-3-18-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त उ0प्र0।
4- संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0।
5- संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त (प्रशासन), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0।
9- अपर आयुक्त (वित्त), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।